HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Misc Suspension Of Sentence Application (Appeal) No. 2351/2025

In

S.B.Criminal Appeal No. 1259/2025

Praveen @ Chinu S/o Girdharilal, Aged About 24 Years, R/o Ward No. 11, Manpura Macheri, P.s. Chandwaji, District Jaipur

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Public Prosecutor

----Respondent

For Petitioner(s) : श्री पंकज गुप्ता

For Respondent(s) : श्री जयप्रकाश तिवाड़ी, लोक अभियोजक

श्री एस.के.वर्मा

HON'BLE MR. JUSTICE VINOD KUMAR BHARWANI

Order

Reserved on :: 16/02/2026

Pronounced on :: 24/02/2026

अपीलार्थी/अभियुक्त की ओर से विचारण न्यायालय **विशिष्ठ न्यायाधीश लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 जयपुर जिला** द्वारा सैशन प्रकरण संख्या–**33/2022, सरकार बनाम प्रवीण उर्फ चीनू** में पारित निर्णय व दंडादेश दिनांक **25.04.2025** के विरूद्ध यह सजा स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसके द्वारा अभियुक्त को आरोपित अपराधों में दोषसिद्ध किया जाकर अर्थदण्ड सहित अधिकतम बीस वर्ष के कठोर कारावास से दण्डित किया गया है ।

बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी–अभियुक्त का तर्क रहा है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का समग्र विवेचन व

विश्लेषण किए बिना आक्षेपित निर्णय एवं दण्डादेश पारित किया गया है। उनका निवेदन है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट पांच माह देरी से दर्ज करवायी गई है जिसका कोई भी संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। उनका यह भी निवेदन है कि दोनों पक्ष आपस में नजदीकी रिश्तेदार हैं, दोनों पक्षों के मध्य संपत्ति का विवाद वर्ष 1990 से चल रहा है । समय–समय पर अलग अलग लिखित भी हुयी है । पीड़िता के बयान अन्तर्गत धारा 161 व 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता व विचारण के दौरान जो बयान हुए हैं उनमें तात्विक विरोधाभास है । उनका यह भी निवेदन है कि विचारण के दौरान अपीलार्थी जमानत पर रहा है, वह दिनांक 08.05.2022 से 01.03.2024 तक लगभग 20 माह अभिरक्षा में रहा है तथा वर्तमान में वह निर्णय की दिनांक से लगातार अभिरक्षा में है । अपील में उनके द्वारा जो आधार लिए गए हैं उसके आधार पर अपीलार्थी दोषमुक्त होने योग्य है। प्रस्तुत अपील के निस्तारण में समय लगेगा, अतः सजा स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक व योग्य अधिवक्ता परिवादी ने सजा स्थगन प्रार्थना पत्र का विरोध किया। उनका निवेदन है कि दोनों पक्षों के मध्य सिविल विवाद अवश्य है परन्तु उनका निस्तारण दीवानी न्यायालय से ही होना है । उनका यह भी निवेदन है कि पीड़िता की आयु लगभग साढे चार वर्ष रही है, अपराध की प्रकृति गंभीर है, अपीलार्थी को 20 वर्ष के कठोर कारावास से दण्डित किया गया है उसके मुकाबले उसकी अभिरक्षा अवधि काफी कम है । विचारण न्यायालय द्वारा सभी तथ्यों पर विचार करते हुए दण्डादेश पारित किया गया है । अतः सजा स्थगन प्रार्थना पत्र निरस्त किया जावे।

हमने उभयपक्षों के तर्कों पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध समस्त सामग्री, पीडिता के बयान अन्तर्गत धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता व विचारण के दौरान लेखबद्ध किए गए बयानों व पीड़िता की माता के बयानों का अवलोकन किया साथ ही अभियुक्त की ओर से अपने बचाव में प्रस्तुत दस्तावेजात प्रदर्श डी–1 लगायत डी–8 का अवलोकन किया । प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों, अपीलार्थी की अभिरक्षा अवधि एवं अपील के निस्तारण

में समय लगने की संभावना को ध्यान में रखते हुए गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किए बिना यह सजा स्थगन प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः अपीलार्थी–अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत यह सजा स्थगन प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि अपीलार्थी/अभियुक्त इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद 50,000/– रूपए **(अक्षरे पचास हजार रूपये)** का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं 25,000–25000/–रूपए **(अक्षरे पच्चीस–पच्चीस हजार रूपये)** की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां इस आशय की प्रस्तुत कर दे कि वह इस न्यायालय में दिनांक **23.03.2026** को एवं तत्पश्चात् जब भी उसे आदेशित किया जावे, उपस्थित होता रहेगा, तो अपीलार्थी/अभियुक्त **प्रवीण उर्फ चीनू पुत्र श्री गिरधारीलाल** को अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जाए।

विचारण न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त आक्षेपित निर्णय के तहत दिए गए दण्डादेश (sentence) का क्रियान्वयन इस अपील के अन्तिम निर्णय तक स्थगित रखा जाता है।

(VINOD KUMAR BHARWANI),J

Rishikesh Soni/reserve